नव भारत, भोपाल 15 JAN 2010

जिला अस्पताल

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनूप मिश्रा ने एक बहुत ही महत्व व जनहित का निर्णय लिया है कि राज्य के सभी जिला अस्पतालों में चिकित्सा की 12 विधाओं (फेकल्टी) में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी. इसके साथ ही हर जिले में ऐसी समिति बनाई जायेगी जो अस्पतालों के क्रियाकलापों के बारे में रिपोर्ट राज्य सरकार को सीधे तौर पर भेजेगी. इससे महानगरों व मेडिकल कालेजों के अस्पतालों के लोगों को दूर-दूर से आना नहीं पड़ेगा. वे जिला स्तर पर ही विशेषज्ञ डाक्टरों से चिकित्सा का लाभ ले सकेंगे. अभी यह समस्या तो आ रही है कि डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों के प्राइमरी हेल्थ सेन्टरों पर काम नहीं करना चाहते. सरकार की कड़ाई व प्रोत्साहन भी कारगर साबित नहीं हो रहा. लेकिन जिला स्तर पर विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ डाक्टर मिलने में कठिनाई नहीं होगी और वे उपलब्ध हो जायेंगे. इस संदर्भ में श्री मिश्रा को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण से यातायात की सुविधा से गांवों के लिये चलित अस्पतालों की व्यवस्था की जाए. एक अस्पताली वाहन व डाक्टर एक सेक्शन पर सभी गांवों में जाकर इलाज की सुविधा दे. लेकिन इस दिशा में भी शासन ने एक सार्थक पहल यह की है कि चिकित्सा का 'रेफरल ट्रान्सपोर्ट' (एम्बूलेंस) और प्रसूता महिलाओं के लिये जननी एक्सप्रेस इसी वर्ष 31 मार्च तक सभी जिलों तक बढ़ा दी जायेगी.

राज्य सरकार को निजी अस्पतालों व पेथोलॉजी लेबोरेटरीज की धांधलियों की तरफ ध्यान देना चाहिए. मरीजों की ऐसी महंगी जांचें कर दी जा रही हैं जिनकी जरूरत ही नहीं होती. इन पर कानून से प्रभावी रोक लगाई जानी चाहिए, साथ ही शासकीय अस्पतालों को आधुनिक तकनीकों व उपकरणों से सज्जित किया जाना चाहिए.